UPAL010014692025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या –2, अलीगढ़।

उपस्थितः–तोष कुमार शर्मा, एच0जे0एस0

J.O.CODE - U P 6557

आपराधिक निगरानी संख्या– 66/2025

विद्यादेवी पत्नी राम सिंह नि0 ग्राम धनीपुर गांव प्राइमरी स्कूल वाली गली थाना–महुआखेड़ा जनपद अलीगढ़।

.....निगरानीकर्ती

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

..... विपक्षीगण

निर्णय

पुर्नरीक्षण पत्रावली प्रस्तुत हुई । पुकार कराई गई। पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता विगत कई तिथियों से लगातार गैर हाजिर चल रहा है और द्वितीय पक्ष भी कई तिथियों से लगातार गैर हाजिर चल रहा है। दोनो पक्षों की ओर से कोई स्थगन आदेश भी पेश नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता अपनी निगरानी पर बल देना नहीं चांहता है।

प्रस्तुत दाण्डिक पुर्नरीक्षण संख्या–66/2025 विद्यादेवी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,जनपद अलीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.02.2025 के विरूद्व क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद अलीगढ़ के द्वारा

प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में दर्ज कर परिवादिनी का बयान अ0 धारा– 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हेतु नियत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की जानकारी प्रार्थिया के व्यक्तिगत ज्ञान में है। विवेचना से किसी भी नये तथ्य के प्रकट होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः इस सम्बन्ध में विवेचना कराये जाने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थिया ने घटना का सम्पूर्ण विवरण प्रा. र्थनापत्र में दिया है। घटना के गवाह भी प्रार्थिया आसानी से न्यायालय के समक्ष अपने मामले को साबित करने के लिये प्रस्तुत कर सकती है। प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार के है कि यदि मामलें को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये तो भी न्याय के उद्वेश्यों की पूर्ति आसानी से हो जायेगी।

अतः उपरोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद अलीगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांकित 06.02.2025 में कोई सारवान विधिक त्रृटि या अनियमितता कारित नहीं की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की कोई आवश्यक नहीं है। अतः इस दाण्डिक निगरानी में कोई बल नहीं है तदनुसार निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फौजदारी निगरानी संख्या 66/2025 विद्यादेवी बनाम उ0प्र0 राज्य आदि निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.02.2025 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति

मूल अभिलेख सहित विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 04.06.2026

(तोष कुमार शर्मा)
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या 02,अलीगढ़।
आई0डी0 नं0 6557

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनाकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 04.06.2026

(तोष कुमार शर्मा)
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या 02,अलीगढ़।
आई0डी0 नं0 6557